13.8.25

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार के प्रतिनिधि उप.।

मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर112 रकबा 4.9430 हैक्टयर ग्राम सिद्व जसनाथनगर पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, पानी का टांका व पशुओं का बाड़ा इत्यादि बने हुए है। प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 160/109 रकबा 3.4544 हैक्टयर में से होकर सरकारी रोड़ तक आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण बरसात व काश्त के समय चारों ओर बाड़ कर देते है, जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मौका रिपौर्ट तलब की जाये।

इसके पैरोकर सरकार के प्रतिनिधि पटवारी हल्का कादानाडी ने दस्तावेज मय फैहरिस्त पेश किये।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 4.9430 हैक्टयर ग्राम सिद्व श्री जसनाथनगर पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी के आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है। जहां पर प्रार्थी की दलील है कि उन्हें आवागमन की अत्यन्त आवश्यकता होने से उसे अपने खेत खसरा संख्या 112 जिसमें उसका निवास होने से उसे पड़ौसी खेत खसरा संख्या 160/109 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु नया मार्ग स्वीकृत किया जावे के संबंध में पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन में पाया गया कि राजस्व अभियान के दौरान आवागमन की सुविधा के अनुरूप कदीमी रास्ते के तहत दर्ज प्रकरण सं. 176/2025 अनवान सरकार [illegible] दिनांक 06.08.2025 में सलंग्न परिशिष्ठ अनुसार प्रार्थीगण द्वारा [illegible] के अनुरूप उन्हें कदीमी रास्ते के रूप में सड़क मार्ग से जोड़ा [illegible] चुका है, ऐसी स्थिति में [illegible] किसी रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रकरण [illegible] का निपटारा विधिवत [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हो चुका है, तो पृथक से विकल्प के तौर पर अन्य मार्ग दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए [illegible] प्रस्तुत आवेदन पत्र में इंगित इस्तदुआ का निपटारे की पूर्ति अन्य विकल्प के जरिये हो जाने से आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल पुनार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner